

18 MAR 2019

Tel.No:- 0177-2653120, Ext:234, E-mail:-genbr@rediffmail.com Fax:0177-281282
दिनांक : शिमला-171001, 18 मार्च, 2019

कार्यालय आदेश

निजी स्कूलों की स्थापना/संचालन हेतु सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान (विनियम) अधिनियम 1997 व शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया है। प्रत्येक निजी स्कूलों को अधिनियम 1997 व नियम 2003 तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निहित मानदण्डों की अनुपालना करना अनिवार्य है। अतः अधिनियम 1997 में निहित प्रावधानों के अनुसार समस्त निजी स्कूलों के प्रबन्धकों/मुख्याध्यापकों/प्रधानाचार्यों को निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं:-

1. स्कूल की फीस व निधियां शोषण करने वाली न हो कर शिक्षा के प्रसार में सहयोग देने वाली, कर्मचारीवृन्द को सदत्त किये जाने वाले वेतन अवसंरचना के विकास और छात्रों को दी जा रही सुविधाओं और क्रियाकलापों के अनुरूप होनी चाहिए।
2. स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान अधिनियम, 1997 के अन्तर्गत निर्मित नियम 2003 के अनुसार पीटीओए का गठन किया जाये (जिसमें की माता-पिता में से दो तिहाई सदस्य और अध्यापकों में से एक तिहाई सदस्य लिये जायेगें)।
3. बिना उचित अनुमति के निजी स्कूलों द्वारा स्कूलों में किताबे, कापियों, बर्दी व जुते आदि न बेचें जाएं तथा न ही किसी चिन्हित दुकान से अभिभावकों को किताबे, कापियों, बर्दी व जुते आदि खरीदने पर बाध्य किया जाये।
4. निजी स्कूलों द्वारा School Tours & Trips के नाम पर बसूल की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में समस्त स्कूलों को निर्देश दिये जाते हैं कि शैक्षणिक टूर प्रोग्राम अभिभावकों की सहमति से बनाये जायें, टूर प्रोग्राम के सन्दर्भ में एस डी एम को भी अवगत करवाया जाये तथा School Tours & Trips छात्रों के लिए अनिवार्य के बजाये स्वैच्छिक किया जाये व इसमें विद्यार्थियों की सुरक्षा (Safety & Security) का सर्वोपरि ध्यान रखा जाये।

समस्त स्कूल के प्रबन्धक/मुख्याध्यापक/प्रधानाचार्य अधिनियम, 1997 व शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के सभी निर्देशों को लागू करने और अनुपालना के लिए समान रूप से जिम्मेदार होंगे। उक्त आदेशों की अनुपालना न होने पर स्कूल प्रबन्धन के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी जिसके लिए स्कूल प्रबन्धन स्वयं जिम्मेवार होगा।

कृते0 शिक्षा निदेशक (उच्चतर)
हिमाचल प्रदेश।

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान सचिव, (शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2 को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. समस्त उप शिक्षा निदेशक (उच्चतर)(प्रारम्भिक) हिमाचल प्रदेश को अपने-अपने कार्यक्षेत्र में संचालित सभी स्कूलों को उक्त निर्देशों की अनुपालना करने के निर्देश जारी करें।
3. समस्त प्रबन्धक/मुख्याध्यापक/प्रधानाचार्य, निजी स्कूल हिमाचल प्रदेश को उक्त आदेशों की अनुपालना हेतु।
4. अधीक्षक, कम्प्यूटर शाखा, शिक्षा निदेशालय उच्चतर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षक नस्ति।

कृते0 शिक्षा निदेशक (उच्चतर)
हिमाचल प्रदेश।

EMDST NO:- (G-II) ele - 1002 dated: - 19/3/19

Forwarded in original to

All the Principals/Headmaster/PT schools in Una Distt

Dy. Director Elementary Edu.
UNA, Distt. Una (H.P.)